न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

करण संख्या : 602/2018

1. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर (राज.)

......वादी

बनाम

1. **बुटासिंह पुत्र रामसिंह** जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
2. गुरदीपकौर पत्नि बलराजसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
3. गुरपालसिंह पुत्र बलराजसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
4. रमनदीपकौर पुत्री बलराजसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
5. भूपेन्द्रसिंह पुत्र गुरदितसिंहट जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
6. हरजिन्द्रसिंह पुत्र गुरदितसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
7. जलन्धरसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
8. परमपालसिंह पुत्र हरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
9. भूपेन्द्रसिह पुत्र गुरदितसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
10. नसीबकौर पत्नि सुखमिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
11. किरणदीपकौर पुत्री सुखमिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
12. लालजीतसिंह पुत्र सुखमिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
13. बुटासिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
14. परविन्द्रसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
15. .अरमिन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
16. लवदीपसिंह पुत्र हरमन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर
17. मनप्रीत कौर पत्नि लालजीतसिंह जाति जटसिख निवासी बड़ोपल तहसील श्रीकरनपुर

....प्रतिवादी

<u>अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम</u>

--निर्णय-- दिनांक : २१·१२·१८

सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि चक 9एफएफ जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 24 मु.नं. 3,5,15,16,17,37,41,42,43,45,63/16 की कुल 63.254 हैक. रकबा गुरदीपकौर पत्नि बलराजसिंह,गुरपालसिंह पुत्र बलराजसिंह रमनदीपकौर पुत्री बलराजसिंह बहिब.7.790 है0, भूपेन्द्रसिंह हरजिन्द्रसिंह पि.गुरदितसिंह 7.676 हैक. जलन्धरसिंह पुत्र जसवन्तसिंह 8.994हैक. परमपालसिंह पुत्र हरमीतसिंह 0.270 हैक. भूपेन्द्रसिह पुत्र गुरदितसिंह 2.108 हेक. नसीबकौर पत्नि सुखमिन्द्रसिंह 6.498 हैक. किरणदीपकौर पुत्री सुखमिन्द्रसिंह 2.710 हैक. लालजीतसिंह पुत्र सुखमिन्द्रसिंह 8.204 हैक. बुटासिंह पुत्र रामसिंह 4.680 हैक. परविन्द्रसिंह पुत्र बुटासिंह 4.251 हैक. अरमिन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह 9.182 हैक. लवदीपसिंह पुत्र हरमन्दरसिंह 0.809 है0,मनप्रीत कौर पत्नि लालजीतसिंह 1.581हैक. जाति जटसिख सा.देह खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

इस खाते मे सहखातेदारों के हिस्सों के योग **1.499 हैक.** का अन्तर चला आ रहा है क्योकि सहखातेदारों के हिस्सो का योग 64.753 हैक. और खाते का योग 63.254 हैक. दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी सवंत 2036 से 2039 के खाता संख्या 19 में कुल 350 बीघा रकबा दर्ज था, और सहखातेदारों का योग भी 350 बीघा ही था जो सही था । इस खाता मे कोड़ी पुत्री जोरा सिह 360 हिस्सा (38 बीघा) राम सिह पुत्र जोरा सिह 740 हिस्सा (37 बीघा) जोरा सिह पुत्र सुन्दर सिह 375 हिस्सा (18 बीघा 15 बिस्वा) आदि ओर खाता संख्या 18 मे लक्षमण सिह, गोविन्द सिह पिसरान फूमन सिह बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा जोरा सिह पुत्र सुन्दर सिह 1/2 हिस्सा खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

इन्तकाल संख्या 37 बटवांरनामा द्वारा **कोड़ी पुत्री जोरासिंह** 25 बीघा,**रामसिंह पुत्र जोरासिंह** 37 बीघा, **बुटासिंह पुत्र रामसिंह** 38 बीघा कुल 100 बीघा का विभाजन किया गया।

जमाबन्दी सवंत 2041–2044 में 100 बीघा भूमि खाता संख्या 19 मे से ही कम कर दी गई ओर खाता संख्या 18 मे भूमि जोरासिंह पुत्र सुन्दरसिंह के नाम 6 बीघा भूमि कम नही की गई।

वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 27 मे जोरा सिह पुत्र सुन्दर सिह 1.518 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जो इन्तकाल संख्या 251 विरास्तन द्वारा जोरा सिह के वारिसान बूटा सिह, जसविन्द्र सिह, नरेन्द्रजीत सिह, हरविन्द्र सिह, छिन्द्रपाल कौर आदि के नाम दर्ज हो गई। यह भूमि विभाजन इन्तकाल संख्या 37 द्वारा कम की जानी थी जो नही की गई। जोरा सिह पुत्र सुन्दर सिह के हिस्से की भूमि इन्तकाल संख्या 37 के द्वारा बूटा सिह पुत्र राम सिह को दी गई। इस खाते मे जोरा सिह पुत्र सुन्दर सिह का हिस्सा नही बचना नही चाहिये था जो आज तक चला आ रहा है। इस प्रकार विभाजन के समय 100 बीघा रकबा एक ही खाते से कम कर दिया जो दोनो खातो से कम किया जाना था। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है जो रिकार्ड में त्रुटी का ज्ञान होने के पश्चात अविलम्ब पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 9 एफएफ में जमाबन्दी सवंत 2069 ता 72 के खाता संख्या 27 मे जोरासिंह पुत्र सुन्दरसिंह के नाम दर्ज 1.518 हैक्टर भूमि हटाकर खाता संख्या 24 मे रख दी जावे तो खातो का योग बराबर होता है जिसकी दुरूस्ती के आदेश डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत 136 एलआर एक्ट मे दिये जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ता 17 की तलवी विधिवत रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 11,5,6,व 1 स्वयं उपस्थित आए। शेष अप्राथी गण बावजूद तामील उपस्थित नही आए।

अप्रार्थी सं0 5 व 6 के द्वारा अंकित किया गया कि यदि खाता दुरूस्त किया जाए तो हम सहमत है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार इस खाते में खाता का योग व खातेदारों के योग में 1.499 है0 का अंतर है। इंतकाल सं0 37 बंटवारानामा द्वारा 100 बीघा रकबा का बंटवारा किया गया जिसके द्वारा जमाबंदी संवत 2041 ता 44 में जोरा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 375 हिस्सा, कोडी पुत्री जोरा सिंह 360 हिस्सा व राम सिंह पुत्र जोरा सिंह 740 हिस्सा कुल 1875 हिस्सा अर्थात 93 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा हटा दिया गया जबकि 100 बीघा हटाया जाना था। इस प्रकार 125 हिस्सा अर्थात 1.499 है0 भूमि का अंतर हो गया। जमाबदी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 27 मे जोरा सिह पुत्र सुन्दर सिंह 1.518 है0 भूमि दर्ज है। जो इन्तकाल सं0 251 विरासतन द्वारा जोरा सिंह के वारिसान बूटा सिंह, जसविन्द्र सिंह , नरेन्द्रजीत सिंह, हरविन्द्र सिंह, छिन्द्रपाल कौर आदि के नाम दर्ज हुई है। यह भूमि विभाजन नामान्तरण सं0 37 के द्वारा कम की जानी थी, जो नही की गयी। क्योंकि जोरा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह की भूमि का इन्तकाल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

सं0 37 के द्वारा बूटा सिंह पुत्र राम सिंह को दी गयी थी। इस खाते में जोरा सिंह के नाम भूमि नही बचनी चाहिए थी, जो कि जोरा सिंह के नाम आज तक चली आ रही है। विभाजन के समय 100 बीघा रकबा एक ही खाते से कम कर दिया गया जबकि दोनो खातो से कम किया जाना चाहिए था। जिसे अब खाता सं0 27 से हटाया जाकर खाता सं0 24 में दर्ज किया जाना उचित है।

इस संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक मानकसर के द्वारा फर्द मौका तैयार कर पेश किया गया। जिसके अनुसार चक 9एफएफ के मु0 नं0 2 के किला नं0 14 ता 19 रकबा 1.518 है0 नहरी भूमि पर हरजिन्द्र पुत्र गुरदित सिंह जाति जटसिख निवासी 9एफएफ का कब्जाकाश्त है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं रिपोर्ट गिरदावर एवं पटवारी के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 9एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता सं0 43 में इंतकाल सं0 251 दिनांक 20.10.2014 को खारिज किया जाता है एवं इस खाता में अंकित जोरा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह के नाम दर्ज 1.518 है0 भूमि में से नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते है तथा रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक मानकसर के आधार पर इस खाता सं0 43 के मु0 नं0 2 के किला नं0 14,15,16,17,18,19 का 1.518 है0 रकबा इसी चक की जमाबंदी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 24 में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यह आदेश राज्य सरकार की डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस संबंध मे या इस भूमि के संबंध मे यदि किसी न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश होगा ओर इस भूमि बाबत यदि किसी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन होगा तो यह आदेश उस न्यायालय के आदेश या स्थगन आदेश या विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक...31.12.18...को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

श्रीमति रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner